सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 272 राँची, गुरुवार

10 वैशाख, 1937 (श०)

30 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

27 अप्रैल, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-779/2014 का॰ 3853 -- निगरानी थाना काण्ड संख्या-22/11, दिनांक-17.08.2011 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री उमा शंकर प्रसाद, झा0प्र0से0, के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ड्राईविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक की राशि वसूलने में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों को सहयोग करने एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्तता संबंधी आरोपों के संदर्भ में दिनांक 21 मार्च, 2015 को निगरानी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

2. श्री प्रसाद को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(2)(क) के तहत् दिनांक 21 मार्च, 2015 के प्रभाव से हिरासत अवधि तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय निगरानी थाना काण्ड सं0-22/11 के निष्पादन के उपरान्त लिया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 272—50 ।